Tenders, Purchase & registration of contractors

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक /277/मुस/8 भोपाल, दिनॉक 30जून 1981

ज्ञापन

प्रति,

शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय विभाग भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 के अनुसार शासकीय कार्यालयों को लगने वाली बस्तुयें मण्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी जाने वाली प्रणाली को नही अपना रहें हैं । नियम 14 में यह प्रावधान हैं कि नियम के परिशिष्ट 6 ब में उल्लेंखित 170 बस्तुयें शासकीय विभागों द्वारा लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही क्रय किया जाना चाहिये, जब तक कि लघु उद्योग निगम इन बस्तुओं को प्रदान करनें में असमर्थता व्यक्त न कर दें । किन्तु इसका पालन नही किया जा रहा है। इससे राज्य के औद्योगिकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं लघु उद्योग इकाइयों में असंतोष है। मैं आपका ध्यान भण्डार क्रय नियमों के पैरा 51 (उद्धरण नीचे दिया गया है) की ओर आकर्षित करना चाहूॅगा जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोषालय को भेजे जाने वाले विलों में कार्यकर्ता अधिकारी को नियम 14 के पूर्ण पालन करने सम्बंधी प्रमाण देना होता है।

“The purchasing authority while sending the bills to Treasury shall record a certificate on it to the effect the provision of rule 14 have been complied

भण्डार क्रय नियमो का कढाई से पालन ही इसके लिये अपनें अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को कृपया आवश्यक निर्देश प्रसारित करें।

हस्ताक्षर
म. जगत्पति
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वणिज्य एवं उद्योग विभाग